कार्यालयः प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय,फतेहपुर, उ0प्र0—212601

Website: www.asmcfatehpur.com E-mail: asmcfatehpur@gmail.comPhone:, 9313177768, 9453513220

पत्रांक : 1027 / अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0चि0म0 / फतेह0 / 2026—27 दिनांक 12.08.2026

महत्वपूर्ण

:: कार्यालय आदेश ::

उत्तर प्रदेश शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग-4) के पत्र संख्या-625/सत्तर-4-2026 दिनांक 10 अगस्त, 2026 एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एम०ई०-3/2026/1504 दिनांक 11 अगस्त, 2026 के अनुपालन में संस्थान की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि **'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना'** के अंतर्गत सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण दिव्यांग एवं निराश्रित छात्राओं को भी सम्मिलित किए जाने हेतु विवरण माँगा गया है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ऐसी समस्त छात्राएँ, जो निम्नलिखित श्रेणियों/पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आती हैं, वे अपना पूर्ण विवरण एवं संबंधित प्रमाण-पत्र **तत्काल (आज ही)** उप प्रधानाचार्य कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें:-

1. दिव्यांग छात्राएं (पात्रता मानदंड):

- छात्रा मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि बीमारी/शारीरिक स्थिति से ग्रसित हो।
- छात्रा की दृष्टि, मानसिक स्थिति एवं कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो तथा वह उपकरण संचालन में सक्षम हो।
- संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा न्यूनतम **80 प्रतिशत या उससे अधिक** की दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो।

2. निराश्रित छात्राएं (पात्रता मानदंड):

- ऐसी छात्राएँ जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो।
- परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो।

विशेष नोटः शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के दृष्टिगत यह सूचना अति-आवश्यक एवं समयबद्ध है। विलंब की स्थिति में छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगी।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

(मुहर: प्रधानाचार्य, अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर)

पत्रांक : / अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0चि0म0 / फतेह0 / 2026—27 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उप प्रधानाचार्य, अ०श०जो०सिं०अ०ठा०द०सिं० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / संकाय सदस्य, संस्थान को इस आशय से कि अपनी कक्षाओं/विभागों में छात्राओं को सूचित कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट/छात्र व्हाट्सएप ग्रुप।
5. गार्ड फ़ाइल।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय,फतेहपुर, उ0प्र0–212601

Website: www.asmcfatehpur.com E-mail: asmcfatehpur@gmail.comPhone:, 9313177768, 9453513220

पत्रांक : /अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0चि0म0/फतेह0/2026–27 दिनांक 12.08.2026

महत्वपूर्ण

:: कार्यालय आदेश ::

उत्तर प्रदेश शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग-4) के पत्र संख्या-625/सत्तर-4-2026 दिनांक 10 अगस्त, 2026 एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एम०ई०-3/2026/1504 दिनांक 11 अगस्त, 2026 के अनुपालन में संस्थान की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि **'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना'** के अंतर्गत सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण दिव्यांग एवं निराश्रित छात्राओं को भी सम्मिलित किए जाने हेतु विवरण माँगा गया है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ऐसी समस्त छात्राएँ, जो निम्नलिखित श्रेणियों/पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आती हैं, वे अपना पूर्ण विवरण एवं संबंधित प्रमाण-पत्र **तत्काल (आज ही)** उप प्रधानाचार्य कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें:-

1. दिव्यांग छात्राएं (पात्रता मानदंड):

- छात्रा मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि बीमारी/शारीरिक स्थिति से ग्रसित हो।
- छात्रा की दृष्टि, मानसिक स्थिति एवं कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो तथा वह उपकरण संचालन में सक्षम हो।
- संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा न्यूनतम **80 प्रतिशत या उससे अधिक** की दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो।

2. निराश्रित छात्राएं (पात्रता मानदंड):

- ऐसी छात्राएँ जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो।
- परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो।

विशेष नोटः शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के दृष्टिगत यह सूचना अति-आवश्यक एवं समयबद्ध है। विलंब की स्थिति में छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगी।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

पत्रांक : 1022 /अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0चि0म0/फतेह0/2026–27 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उप प्रधानाचार्य, अ०श०जो०सिं०अ०ठा०द०सि० चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / संकाय सदस्य, संस्थान को इस आशय से कि अपनी कक्षाओं/विभागों में छात्राओं को सूचित कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट/छात्र व्हाट्सएप ग्रुप।
5. गार्ड फ़ाइल।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

प्रधानाचार्य
अ०श०जो०सिं०अ०ठा०द०सिं
चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपु

Scanned with OKEN Scanner